

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(15)वित्त/आब/2019


जयपुर, दिनांक: 02.10.2021

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 के नियम 11 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित आबकारी निरीक्षक, प्रथम श्रेणी को सहायक आबकारी अधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-


क्र.सं.	नाम अधिकारी	रिक्त दिनांक
1.	श्री तरुण अरोडा	01.04.2021
2.	श्री जितेन्द्र पाल सिंह सोढा	01.04.2021
3.	श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता	01.04.2021
4.	श्रीमती श्वेता यादव	01.04.2021
5.	श्री भरत मीणा	01.04.2021

आज्ञा से,

  
(जसवंत सिंह)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभागी की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग


क्रमांक प.11(15)वित्त/आब/2019

जयपुर, दिनांक: 02.10.2021

आदेश


राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 के नियम 11 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित सहायक आबकारी अधिकारी (सामान्य शाखा) को जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान) के पद पर स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	रिक्ति दिनांक
1.	श्रीमती दीप्ती मिश्र	01.04.2021
2.	श्री हरीश रोलन	12.05.2021
3.	श्री सुदर्शन सिंह भाटी	01.11.2021

आज्ञा से,  
  
(जसवंत सिंह)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभागी की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(15)वित्त/आब/2019


जयपुर, दिनांक: 02.10.2021

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1967 के नियम 13 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल को आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल के पद पर स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	रिक्ति दिनांक
1.	श्री मदनलाल खटीक (सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2021)	01.04.2021

आज्ञा से,



(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभागी की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(15)वित्त/आब/2019


जयपुर, दिनांक: 02.10.2021

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1967 के नियम 13 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल को उपायुक्त, आबकारी निरोधक दल के पद पर स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-


क्र.सं.	नाम अधिकारी	रिक्ति दिनांक
1.	श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत (सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2021)	01.04.2021

आज्ञा से,

  
(जसवंत सिंह)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभागी की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(15)वित्त/आब/2019


जयपुर, दिनांक: 02.10.2021

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 के नियम, 11 के अधीन गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.09.2021 की अभिशंषा अनुसार राजस्थान आबकारी सेवा में श्री अजय जैन को रिक्ति वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध सहायक आबकारी अधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

श्री अजय जैन की सहायक आबकारी अधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर वरिष्ठता श्री राणा प्रताप सिंह (पदोन्नति वर्ष 2016-17) के नाम के नीचे तथा श्री घनश्याम शर्मा (पदोन्नति वर्ष 2016-17) के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है।

आज्ञा से,




(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभागी की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग


क्रमांक प.11(15)वित्त/आब/2019

जयपुर, दिनांक: 02.10.2021

आदेश


राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 के नियम, 11 के अधीन गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.09.2021 की अभिशंषा अनुसार राजस्थान आबकारी सेवा के श्री भौरी लाल मीणा को रिक्ति वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध सहायक आबकारी अधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

श्री भौरी लाल मीणा की सहायक आबकारी अधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर वरिष्ठता श्री सुदर्शन सिंह भाटी (पदोन्नति वर्ष 2015-16) के नाम के नीचे तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद गर्ग (पदोन्नति वर्ष 2016-17) के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है।

आज्ञा से,  
  
(जसवंत सिंह)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभागी की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव